




जल संरक्षण में जन भागीदारी

आज जल के महत्व को देखते हुए जल संरक्षण की दिशा में प्रत्येक मानव को आगे आना होगा और जल की एक-एक बूँद का संरक्षण करना होगा। इस दिशा में हमारे साथ-साथ मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेयजल की व्यवस्था मुकम्मल की जा रही है। जल संसाधन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस दिशा में लगातार कई परियोजना संचालित की जा रही हैं।

बहुती जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुर्ध दोहन होने से आज मनुष्य के सामने कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं इनमें से जल संकट एक महत्वपूर्ण समस्या बन कर प्रकट हुई है। जल ही जीवन है। जल के बिना आज कुछ भी सम्भव नहीं है। जल के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे देश में शुद्ध पेयजल की एक गंभीर समस्या है। हमारा देश नदियों का देश होने के बाद भी इसके कई भागों में आज शुद्ध पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। यह समस्या सरकार के साथ-साथ सम्पूर्ण मानव जाति के लिए एक चुनौती साबित हो रही है। बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के तेजी से बढ़ने के कारण वन विनाश ने जल संकट को बढ़ावा दिया है।

पर्यावरण असंतुलन से जल संसाधनों के स्रोत घटने से पेयजल स्रोतों की संख्या में कमी आती चली जा रही है। इस कारण वर्षों का विनाश, खेशियरों के सिमटने, प्राकृतिक आपदाओं-भूकम्प, भूस्खलन आदि के कारण पानी की मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी आने लगी है। इस अन्यीं दौड़ में हम भूल रहे हैं कि जैसे-जैसे



श्रोत : सिक्किमोमानव एवं रोडा 2003



राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल विभाग का दृश्य

पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दिन-प्रतिदिन हास होता चला जा रहा है और पर्यावरण असन्तुलन बढ़ता जा रहा है। एक ओर जहां वातावरण में दिन प्रति दिन हो रहे परिवर्तन के लिए पर्यावरण प्रेमी चिन्तित हैं वहीं सरकार द्वारा इस दिशा में सरहनीय प्रयास किए जा रहे हैं जो काफी हद तक जल संरक्षण में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

हमारी पृथ्वी के सतह का 70 प्रतिशत भाग जलमग्न है। इस जल का 2.5 प्रतिशत जल का उपयोग ही मानव के द्वारा किया जाता है सम्पूर्ण जल का 97.5 प्रतिशत जल लवणीय होने के कारण मानव के लिए उपयोगी नहीं है। मानव द्वारा उपयोगी 2.5 प्रतिशत जल में से 1 प्रतिशत जल वर्क के रूप में पाया जाता है। इसमें से 5 प्रतिशत जल नमी के रूप में एवं गहरे जलाशयों, नदी, नाले, तालाब, आदि के रूप में पाया जाता है। जिसका उपयोग विशेष तकनीकी के बिना संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जल का मात्र 1 प्रतिशत हिस्सा ही मानव के लिए उपयोगी है। इसी 1 प्रतिशत हिस्सा से ही सम्पूर्ण विश्व में 70 प्रतिशत क्षेत्र की सिंचाई की जाती है तथा विश्व की 80 प्रतिशत आवादी अपने दैनिक क्रिया कलापों एवं पीने हेतु इसी जल पर निर्भर है। इसी जल का उपयोग बड़े उद्योग तथा कल कारखाने भी करते हैं।

अतः आज जल के महत्व को देखते हुए जल संरक्षण की दिशा में प्रत्येक मानव को आगे आना होगा और जल की एक-एक बूंद का संरक्षण करना होगा। इस दिशा में हमारे साध-साध मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेयजल की व्यवस्था मुकम्मल की जा रही है। जल संसाधन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश

सरकार द्वारा इस दिशा में लगातार कई परियोजना संचालित की जा रही हैं। केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन, एकीकृत जलागम प्रवंधन कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जल संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही हैं तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जलभिषेख अभियान योजना जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

यह योजना 1 अप्रैल 2009 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पेयजल अपूर्ति विभाग, के द्वारा प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक हेतु पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन आज हमारे देश के प्रत्येक राज्य में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए कार्य करता है। इसके लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता निगरानी तथा जांच कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था मुकम्मल की जा सके। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत को जल परीक्षण फील्ड किट प्रदान की गई है जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर जल के नमूने लेकर उनका परीक्षण किया जा सके।

एकीकृत जलागम प्रवंधन कार्यक्रम


हमारे देश के 329 मीलियन हेक्टेअर भौगोलिक क्षेत्र में से 146 मीलियन हेक्टेअर क्षेत्र है तथा 85 मी. हेक्टेअर वर्षा सिंचित कृषि योग्य भूमि है जिसमें पंचायत, राजस्व, वन एवं निजी स्वामित्व वाली अवक्रमित भूमि है। ऐसी सभी भूमि को इस वॉटरशेड विकास परियोजना के तहत विकसित किया



एकीकृत जलागम प्रवंधन कार्यक्रम तहत निर्मित चेक डेम का दृश्य



मनरेगा के तहत निर्मित कुएं का दृश्य



मनरेगा के तहत निर्मित चेक डेम का दृश्य

जा रहा है। एकीकृत जलागम प्रवंधन कार्यक्रम (वॉटरशेड विकास परियोजना) आज जल संरक्षण एवं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे देश में ग्राम पंचायतों को प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने एवं ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु इस दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रभावी व सफल बनाने के लिए दूर सवेदी आंकड़ों एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के द्वारा जल संरक्षण के माध्यम से ग्रामीण विकास की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। जल संरक्षण के कार्यों को



जलाशय गहरीकरण में श्रमदान करते हुए स्कूली छात्र छात्राएं

पड़ता है। राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन कार्यक्रम से जिले में जल संरक्षण एवं भूमि सुधार के अच्छे परिणाम सामने आये हैं।

मनरेगा के तहत ग्रामीण जल स्रोतों को मिला जीवनदान

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2006 से प्रारम्भ हुई थी। यह योजना जल संरक्षण की दिशा में आज एक नई ईवादत लिख रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेयजल की एक विकाराल समस्या थी। जिसमें शिवपुरी जिला भी इस समस्या से जूझ रहा था। जिले के 200 से अधिक ग्राम पंचायतों में अप्रैल, मई, जून के महीने में पेयजल समस्या एक विकाराल रूप धारण कर लेती थी।

इसी के साथ जिले में वर्षा, औसत से कम होने के कारण जिले में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी न मिलने के कारण जिले

के कई हिस्सों में फसलों से पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन न होने से जिले में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। जिससे जिले की 75 प्रतिशत ग्रामीण लोग पलायन कर जाते थे। लेकिन आज सरकारी प्रयास से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के कारण जिले में काफी हद तक पेयजल एवं सिंचाई की समस्या हल हुई है। वर्षा जल पर निर्भर खेती में कपिल धारा कूपों के प्रयास से सिंचाई की जा रही है। वर्ही कुजों के जल स्तर में भी बृद्धि हुई है।

ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के तहत जहां गांव में विकास कार्य हो रहे हैं, वहाँ लोगों को रोजगार सुनिश्चित हो रहे हैं। लोग गांव में काम न होने के कारण शहर की तरफ पलायन कर जाते थे, आज लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है।



जलाशय गहरीकरण में श्रमदान करते हुए सामाजिक संस्थान के सदस्य

आज मनरेगा की पेयजल व्यवस्था के तहत कुछ महत्वपूर्ण निर्माण भी हुए हैं जिससे काफी हद तक पेयजल समस्या का ज्ञानदान हुआ है।

जलाभियेख अभियान योजना

मध्य प्रदेश में जलाभियेख अभियान योजना जल संरक्षण की दिशा में वरदान सावित हो रही है। इस योजना के अन्तर्गत पुराने जल संरक्षण के संसाधन जैसे नदी, डैम, तालाब, बावड़ी, कुएं, नहर, नालों को प्राकृतिक रूप प्रदान किया जा रहा है जिससे जल की संरक्षण क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह योजना जन भागीदारी (आम जनता) के द्वारा मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्पष्ट हो रही है। इस योजना में आम नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, स्कूल, कालेज के छात्र/छात्राओं के साथ स्कूल, कालेज प्रबंधन, चिकित्सक, जिला कलेक्टर, वकील

एवं अन्य शासकीय कर्मचारी बढ़-चढ़ श्रमदान कर अपना योगदान प्रदान कर रहे हैं। जिससे आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल संरक्षण के संसाधन को जीवन दान प्रदान किया जा रहा है। यह योजना जहां एक तरफ जल संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी कदम है वहीं इससे शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल की समस्या का काफी हद तक कम हुई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के 8 विकासखंडों के लगभग 200 जल संसाधनों को इस योजना के तहत संरक्षण प्रदान किया जा रहा है जिससे जल की संरक्षण क्षमता को बढ़ाया जा सके। यह योजना जन भागीदारी (आम जनता) के द्वारा मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में स्पष्ट हो रही है। इस योजना में आम नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, स्कूल, कालेज के छात्र/छात्राओं के साथ स्कूल, कालेज प्रबंधन, चिकित्सक, जिला कलेक्टर, वकील

संपर्क सूत्र :

श्री यशपाल सिंह नरवरिया, जलीयजीव प्रयोगशाला,
प्राणिकी अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)



जल संरक्षण

अनुपम सौगात है वर्षा जल
जो बरसकर दौड़ रहा हुत गति से
उसे किसी भाँति अंकुश लगा चलना सिखा दें।
जहां पानी चल रहा हो
उसे प्रयास कर
धीमी गति से रेंगना सिखा दें।
और जहां देखें रेंगता हुआ
उसे घेर-पकड़ कर
धरती मैया की कोख में पहुंचा दें।
ताकि जरूरत पड़ने पर

निकाल सकें जल संचित
यही है जल संरक्षण
का बेमिसाल उपाय।
वर्ना आगामी समय में
मांगोगे जल और सूखी नदी
ठेंगा दिखाती रह जाएगी असहाय।

संपर्क सूत्र :

डॉ. सेवा नन्दवाल, 98 डी के-1, स्कीम 74-सी
विजय नगर, इन्दौर-452010 (म.प्र.)
[मो.: 9685254053]